[2015] 1 उम. नि. प. 241

## अहमद शाह और एक अन्य

बनाम

## राजस्थान राज्य

तथा

## राजस्थान राज्य

बनाम

## रसूल शाह और अन्य

तथा

## राजस्थान राज्य

बनाम

## श्रीमती हलीमा और अन्य

तथा

## राजस्थान राज्य

बनाम

## इकबाल और अन्य

9 जनवरी, 2015

**न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमति**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 300 का अपवाद 4 – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – अचानक झगड़ा होने पर अपीलार्थियों और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच लड़ाई – पूर्व-चिंतन का अभाव – बंदूक छीनने और हाथापाई के दौरान क्षतियां कारित होना और दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना – अपीलार्थियों ने पूर्व-चिंतन के बिना अचानक लड़ाई में असम्यक् लाभ लिए बिना मृत्यु कारित की है, ऐसी स्थिति में अपराधी धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन अपराध के दोषी होंगे ।**

इस मामले में अपीलार्थियों और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था । घटना से 7-8 दिन पहले शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलार्थियों के खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया था जिसके पश्चात् अपीलार्थी पक्ष ने उन्हें वहां से हटा दिया था । घटना के दिन शिकायतकर्ता पक्ष अपीलार्थियों के उक्त खेत पर कब्जा करने के आशय से आया और दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हुई । इसके पश्चात् दोनों पक्ष गुत्थम-गुत्था हो गए और परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों को क्षतियां कारित हुईं । अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307, 302, 323, 147, 148 और 149 के अधीन मामला दर्ज किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को उक्त अपराधों का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी गुरुमुख सिंह और अहमद शाह को शब्बीर शाह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार पाया और उन्हें दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सुबहान शाह और रसूल शाह को दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनके दंड को कम करके पहले से भोगे गए दंड जितना कर दिया । अन्य सभी अभियुक्तों को केवल दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की तथा राज्य ने भी अभियुक्तों की दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के अधीन की गई दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थियों की अपीलें भागतः मंजूर कीं और राज्य की ओर से फाइल की गई अपीलें खारिज कर दीं । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने सभी अपीलों का निपटारा किया । अपीलों का निपटारा करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – पक्षकारों के बीच विवाद 14 बीघा भूमि से संबंधित है । अब्दुल शाह द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी अहमद शाह को 75,000/- रुपए के प्रतिकर पर विक्रय की गई थी और यह बताया गया है कि इस भूमि का कब्जा अहमद शाह को दिया गया । प्रदर्श डी-8 तारीख 9 अप्रैल, 1987 का विक्रय-विलेख है जो अब्दुल शाह द्वारा अहमद शाह के पक्ष में निष्पादित किया गया है । भूमि से संबंधित पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त खेत पर गए थे

और उन्होंने अब्दुल शाह और शब्बीर शाह से कब्जा छीनने का प्रयास किया और एतद्द्वारा शब्बीर शाह और रखू शाह की अभिकथित रूप से मृत्यु कारित की और रखिया (अभि. सा. 8) को क्षतियां पहुंचाईं । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त पक्ष के पास भूमि का वास्तविक कब्जा था और शिकायतकर्ता पक्ष बलपूर्वक कब्जा लेने के लिए खेत पर गया था । रखिया (अभि. सा. 8) ने यह स्वीकार किया है कि इस घटना के लगभग 7 या 8 दिन पूर्व, उसके पति अब्दुल शाह उसके बड़े पुत्र हसन शाह ने बलपूर्वक खेत पर कब्जा किया था तथा अहमद शाह और रसूल शाह ने उन्हें ऐसे करने से रोका । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि रफीक शाह ने उन्हें यह बताया था कि वह उन्हें खेत का कब्जा दिलाने की व्यवस्था करेगा और इसीलिए उस दिन शिकायतकर्ता पक्ष उसके साथ खेत पर गया था । रखिया ने यह भी स्वीकार किया है कि खेत में नरमा की फसल थी । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि घटना के दिन अर्थात् 29 अप्रैल, 1996 को रखिया उसका भाई रखू शाह, हसन शाह शब्बीर शाह और कुछ अन्य व्यक्ति भूमि का कब्जा लेने गए और शब्बीर शाह बन्दूक से लैस था । अभि. सा. 8 आहत साक्षी है, इसलिए उसके साक्ष्य की गुणवत्ता अधिक है और उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । घटना की उत्पत्ति के संबंध में मामले का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए, हम प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करेंगे । अभि. सा. 21 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन, अहमद शाह और उसके साथियों के पास उस भूमि का कब्जा था और उस भूमि पर अहमद शाह, रूपा राम बाजीगर से कृषि करवा रहा था और घटना के समय उस खेत में अहमद शाह के लिए रूपा राम बाजीगर द्वारा तैयार की गई नरमा की फसल खड़ी हुई थी । अन्वेषक अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान यह बात सामने आई कि तारीख 28 अप्रैल, 1996 को शिकायतकर्ता पक्ष ने उस भूमि पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था । अन्वेषक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन अभियुक्त पक्ष के पास विवादित भूमि का कब्जा था । अभि. सा. 21 के साक्ष्य और प्रदर्श डी-35 से यह पता चलता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 67/1996 के अनुसार एक प्रतिमामला संस्थित किया गया था । उक्त मामले का निर्णय प्रदर्श डी-35 है जिससे भी यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त के पास विवादित भूमि का कब्जा था । प्रदर्श डी-8 तारीख 9

अप्रैल, 1987 का विक्रय-विलेख है जो अब्दुल शाह द्वारा अहमद शाह के पक्ष में निष्पादित किया गया था और इस विलेख से भी अभियुक्त व्यक्तियों का भूमि पर कब्जा होना उपदर्शित होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने यह साबित करने के लिए प्रदर्श डी-8, 9, 10, 28 और 35 प्रस्तुत किए हैं कि अभियुक्तों के पास विवादित भूमि का कब्जा था और साक्ष्य से यही उद्भूत होता है कि भूमि का कब्जा अभियुक्तों के पास था और शिकायतकर्ता पक्ष बन्दूक से लैस होकर उस संपत्ति का बलपूर्वक कब्जा लेने के लिए खेत पर गया था और इस तथ्य से, अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शाई गई घटना की उत्पत्ति पर घोर संदेह होता है । हसन शाह (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि जब रखिया (अभि. सा. 8) झोपड़ी में चाय बना रही थी तब अभियुक्त पक्ष एक साथ वहां पहुंचे और अपीलार्थियों ने शब्बीर शाह को उस समय क्षतियां पहुंचाईं जब वह निकट ही चारपाई पर सो रहा था और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सुबहान शाह ने रखू शाह की दाईं टांग पर कुल्हाड़ी से क्षति कारित की । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि वह झोपड़ी में ईंटों से बने चूल्हे पर चाय बना रही थी और चाय तोपिया में बनाई जा रही थी और घटना के पश्चात् तोपिया और चूल्हा झोपड़ी में ही छोड़ दिए गए । प्रदर्श पी-14 स्थल-नक्शा है जिसमें झोपड़ी और घटना का दृश्य चिन्हांकित किया गया है । जब अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 21) को स्थलनक्शा प्रदर्श पी-14 दिखाया गया, तब उसने यह कथन किया कि उसने प्रदर्श पी-14 में किसी भी चूल्हे का उल्लेख नहीं किया है । अभि. सा. 21 ने यह भी कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर कोई भी तोपिया या चाय बनाने का बर्तन नहीं देखा था । दूसरी ओर अभि. सा. 21 ने यह कथन किया है कि झोपड़ी में एयरगन से टूटा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा देखा था । जैसा कि अभि. सा. 7 और 8 ने कथन किया है, यदि वास्तव में घटना के समय झोपड़ी में चाय बनाई जा रही थी तब मैली, तोपिया, चूल्हा और बर्तन झोपड़ी में ही बिखरे हुए पाए जाते कि अन्वेषक अधिकारी को घटनास्थल पर न तो चूल्हा मिला और न ही बर्तन, इस तथ्य से अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई यह दलील असंभावी हो जाती है कि अभियुक्तों ने हमला किया था । अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 ने अपीलार्थियों के स्पष्ट कृत्य के संबंध में बताया है कि अपीलार्थी गुरुमुख सिंह ने शब्बीर शाह की गर्दन पर गंडासी से वार किए और अहमद शाह ने उसके सिर पर भाले से क्षति पहुंचाई । अभि. सा. 8 आहत साक्षी है, इस साक्षी ने अपीलार्थियों द्वारा शब्बीर शाह को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में साक्ष्य

दिया है । अपीलार्थियों के स्पष्ट कृत्य के संबंध में निचले न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए समवर्ती मतों से हमारा समाधान हो गया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, विशेषकर अभि. सा. 8 जिसने दो अपीलार्थियों द्वारा अपराध में भाग लेने और घातक क्षतियां पहुंचाने के संबंध में अपना संगत अभिसाक्ष्य दिया है, के कथनों से अपीलार्थियों का स्पष्ट कृत्य साबित हो गया है । किंतु जहां दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि का संबंध है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से सहमत नहीं हैं । दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अनुसार मानव वध हत्या नहीं है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो । दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेने के लिए चार अध्यपेक्षाओं का समाधान होना चाहिए, अर्थात् – (i) अचानक झगड़ा हुआ हो ; (ii) कोई भी पूर्व-चिन्तन न किया गया हो ; (iii) कृत्य आवेश की तीव्रता में किया गया हो ; और (iv) हमलावर ने कोई भी असम्यक् फायदा न लिया हो और न ही क्रूरतापूर्ण रीति में कार्य किया हो । जैसाकि इसके पूर्व विचार किया गया है, अब्दुल शाह ने वर्ष 1987 में अहमद शाह की संपत्ति क्रय की थी । अहमद शाह की ओर से रूपा राम बाजीगर खेती कर रहा था । साक्ष्य में यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दिन खेत में नरमा की फसल खड़ी हुई थी जो रूपा राम बाजीगर द्वारा तैयार की गई थी । जैसाकि अभि. सा. 8 के साक्ष्य से दिखाई देता है, शिकायतकर्ता पक्ष अर्थात् रखिया, रखू शाह, हसन शाह, शब्बीर शाह, दारे शाह, मोती शाह और रैराम संख्या में सात व्यक्ति थे जो बलपूर्वक कब्जा लेने गए थे । जैसाकि प्रदर्श पी-65 से दिखाई पड़ता है, अभियुक्त संख्या में लगभग सात थे अर्थात् रसूल शाह, अहमद शाह, अमर शाह, जाकिर, सुबहान शेरू और गुरुमुख सिंह जो वहां मौजूद थे । ऐसा प्रतीत होता है कि परस्पर प्रकोपन और अपवृद्धि हुई थी, चूंकि शिकायतकर्ता पक्ष भूमि का कब्जा लेने गया था, इसलिए यह भी प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ था । जानबूझकर कोई भी पूर्ववर्ती कार्य या पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया है और यह घटना अचानक झगड़ा होने से घटित हुई है । जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया गया है, शिकायतकर्ता पक्ष खेत पर गया था और शब्बीर शाह बन्दूक से लैस था । अचानक झगड़ा होने पर लोग गुत्थम-गुत्था हो गए । हाथापाई के दौरान अपीलार्थियों ने मृतक शब्बीर शाह को क्षतियां पहुंचाईं । अभियुक्तों ने

शब्बीर शाह से बंदूक छीनने की कोशिश की । कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था और अचानक झगड़ा होने से घटना घटित हुई । हाथापाई के दौरान अन्य अभियुक्तों ने रखू शाह और अभि. सा. 8 को क्षतियां पहुंचाईं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारे मतानुसार, वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जो दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हो किन्तु यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन आ सकता है । चूंकि अपीलार्थियों ने मृत्यु कारित करने के आशय से शब्बीर शाह की गर्दन और सिर पर क्षतियां पहुंचाईं हैं इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थियों का कृत्य दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के अधीन आता है । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 और 21)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2004] | (2004) 11 एस. सी. सी. 395 : **श्रीधर भुयन** बनाम **उड़ीसा राज्य** । | 19 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1889. (इसके साथ 2008 की दांडिक अपील सं. 1904, 1938 और 2009 की दांडिक अपील सं. 17 की भी सुनवाई की गई ।)**

2005 की दांडिक अपील सं. 704 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंड न्यायपीठ के तारीख़ 20 अगस्त, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**पक्षकारों की ओर से** सर्वश्री डूंगर सिंह, वी. जे. फ्रांसिस, हरी कुमार वी., जेनिस वी. फ्रांसिस, राम नरेश यादव और मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बानुमति ने दिया ।

**न्या. बानुमति** – ये अपीलें 2005 की दांडिक अपील सं. 704 में पारित किए गए तारीख़ 20 अगस्त, 2007 के उस निर्णय के विरुद्ध की गई हैं जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर न्यायपीठ ने भारतीय

दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और 1,000/- रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की पुष्टि की गई है । उच्च न्यायालय ने अन्य 18 अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोपों से मुक्त कर दिया और उन्हें दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए पहले से भोगे गए कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 29 अप्रैल, 1996 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न में जब शिकायतकर्ता रखू शाह और अपनी बहिन रखिया (अभि. सा. 8), भतीजे हसन अली और शब्बीर के साथ अपने जीजा अब्दुल के खेत में मौजूद था, तब अपीलार्थी अन्य 19 अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव के रूप में खेत पर आए । अपीलार्थी अहमद शाह, गुरुमुख सिंह और रसूल शाह भाले और लाठियों से लैस थे । रसूल शाह ने शिकायतकर्ता रखू शाह को क्षति पहुंचाई । अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता की बहिन रखिया (अभि. सा. 8) पर हमला किया । अहमद शाह और गुरुमुख सिंह ने शब्बीर शाह पर हमला किया । गुरुमुख सिंह ने शब्बीर शाह की गर्दन पर भाले से क्षति कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्दन कट गई और वह रक्त से लथपथ हो गया और अपीलार्थी अहमद शाह ने शब्बीर शाह के सिर पर भाले से क्षति कारित की और शब्बीर शाह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

3. तारीख 29 अप्रैल, 1996 को रखू शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया । चिकित्सक की यह राय प्राप्त करने के पश्चात् कि रखू शाह कथन देने की स्थिति में है, अन्वेषक अधिकारी मंगू सिंह (अभि. सा. 21) ने रखू शाह का कथन अभिलिखित किया । उक्त कथन के आधार पर, दंड संहिता की धारा 302, 307, 323, 147, 148 और 149 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 68/1996 रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषक अधिकारी मंगू सिंह (अभि. सा. 21) ने मामले का अन्वेषक आरंभ किया और स्थलनक्शा तैयार किया तथा घटनास्थल से वस्तुएं बरामद कीं और साथ ही साक्षियों के कथन अभिलिखित किए ।

4. डा. पी. एस. माथुर (अभि. सा. 13) ने शब्बीर शाह के शव का शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-46 तैयार की और यह

राय दी कि मृत्यु का कारण मृतक को पहुंची अनेक क्षतियां हैं । रखिया (अभि. सा. 8) को पहुंची क्षतियों के कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया । डा. पी. एस. माथुर (अभि. सा. 13) ने रखिया को पहुंची क्षतियों का मुआयना किया और क्षति रिपोर्ट प्रदर्श पी-44 जारी की । रखू शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका आपातकालीन वार्ड में उपचार किया गया । तारीख 4 मई, 1996 को रात्रि में 12.10 बजे क्षतियों के कारण रखू शाह की मृत्यु हो गई । डा. राज कुमार डरगर (अभि. सा. 9) ने रखू शाह के शव का शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 है । इस साक्षी ने यह राय दी है कि मृत्यु का कारण अनेक क्षतियों से होने वाला वसा रक्तस्राव रोधन है ।

5. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् राउ राम (अभि. सा. 3), दारे शाह (अभि. सा. 4), हसन शाह (अभि. सा. 7) और रखिया (अभि. सा. 8) तथा कुछ अन्य साक्षियों की परीक्षा कराई है और साथ ही अनेक दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को प्रदर्शित किया है । अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न किए गए हैं और उन्होंने उन सभी प्रश्नों का खंडन किया है । कुछ अभियुक्तों ने यह कथन किया है कि यह घटना ईद के त्यौहार वाले दिन घटित हुई थी और वे ईद मना रहे थे, इसलिए वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे ।

6. अपीलार्थी अहमद शाह का विशिष्ट मामला यह है कि वर्ष 1987 में उसने 75,000/- रुपए में अब्दुल शाह से एक भू-खंड क्रय किया था और वह भू-खंड उसके (अहमद शाह) कब्जे में था जो उसने कृषक रूपा राम बाजीगर को दे रखा था । अपीलार्थी अहमद शाह ने यह भी अभिवाक् किया है कि शब्बीर शाह, रखू शाह और रखिया तथा शिकायतकर्ता पक्ष उसके खेत पर बलपूर्वक कब्जा करने आए और शब्बीर शाह ने गोली चलाई और इसके पश्चात् शब्बीर शाह भाग गया । इस प्रकार अभियुक्तों ने यह अभिवाक् किया है कि मृतकों ने ही हमला किया था । अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में 35 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं ।

7. अभियोजन पक्षकथन का मूल्यांकन करने पर, विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 148, 307/149 और

302/149 के अधीन दोषसिद्ध किया और उन्हें 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के साथ क्रमशः 3 वर्ष का कठोर कारावास, दस वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया और सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया । अभियुक्तों ने इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी गुरुमुख सिंह और अहमद शाह, शब्बीर शाह की मृत्यु कारित करने के लिए जिम्मेदार हैं और तद्नुसार उन्हें दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया । अभियुक्त सुबहान शाह और रसूल शाह को दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनके दंड को कम करके पहले से भोगे गए दंड जितना कर दिया । ऊपर नामित अभियुक्तों के सिवाय, अन्य सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया तथा उन्हें दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध किया गया सारभूत दंडादेश को कम करके पहले से भोगे गए दंडादेश की अवधि जितना कर दिया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने (हमारे समक्ष) दांडिक अपील सं. 1889/2008 फाइल की । राज्य ने भी अन्य अभियुक्तों की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए अपीलें फाइल कीं हैं ।

8. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल सात अभियुक्तों के नाम दिए गए हैं और इसके बाद ही अन्य व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं और अभियुक्त व्यक्तियों को अत्यधिक संख्या में आलिप्त किया गया है । यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी और अन्य साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का कब्जा अभियुक्तों के ही पास था और इस तथ्य से अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण पक्षकथन बदल जाता है । यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में अंधाधुंध लड़ाई हुई है और चूंकि अभियुक्तों की वैयक्तिक जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है इसलिए अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 307/34 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था ।

9. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने मिलकर शब्बीर शाह और रखू शाह की

हत्या करने तथा रखिया को घातक क्षतियां कारित करने से संबंधित अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों (अभि. सा. 3, 4, 7 और 8) से स्पष्ट रूप से अभियुक्तों द्वारा किया गया स्पष्ट कृत्य सिद्ध होता है । यह भी दलील दी गई है कि विवादित भूमि का कब्जा अब्दुल शाह के पास था और वही उसका स्वामी था और अभियुक्तों ने हमला किया था और अभियुक्तों को उनकी अपनी संपत्ति की संरक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था । यह दलील दी गई है कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के वैयक्तिक कृत्य को स्पष्ट रूप से साबित किया गया है इसलिए उच्च न्यायालय को अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था ।

10. हमने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य तथा आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है ।

11. पक्षकारों के बीच विवाद 14 बीघा भूमि से संबंधित है । अब्दुल शाह द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी अहमद शाह को 75,000/- रुपए के प्रतिकर पर विक्रय की गई थी और यह बताया गया है कि इस भूमि का कब्जा अहमद शाह को दिया गया । प्रदर्श डी-8 तारीख 9 अप्रैल, 1987 का विक्रय-विलेख है जो अब्दुल शाह द्वारा अहमद शाह के पक्ष में निष्पादित किया गया है । भूमि से संबंधित पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त खेत पर गए थे और उन्होंने अब्दुल शाह और शब्बीर शाह से कब्जा छीनने का प्रयास किया और एतद्द्वारा शब्बीर शाह और रखू शाह की अभिकथित रूप से मृत्यु कारित की और रखिया (अभि. सा. 8) को क्षतियां पहुंचाईं । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त पक्ष के पास भूमि का वास्तविक कब्जा था और शिकायतकर्ता पक्ष बलपूर्वक कब्जा लेने के लिए खेत पर गया था ।

12. रखिया (अभि. सा. 8) ने यह स्वीकार किया है कि इस घटना के लगभग 7 या 8 दिन पूर्व, उसके पति अब्दुल शाह उसके बड़े पुत्र हसन शाह ने बलपूर्वक खेत पर कब्जा किया था तथा अहमद शाह और रसूल शाह ने उन्हें ऐसे करने से रोका । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि

रफीक शाह ने उन्हें यह बताया था कि वह उन्हें खेत का कब्जा दिलाने की व्यवस्था करेगा और इसीलिए उस दिन शिकायतकर्ता पक्ष उसके साथ खेत पर गया था । रखिया ने यह भी स्वीकार किया है कि खेत में नरमा की फसल थी । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि घटना के दिन अर्थात् 29 अप्रैल, 1996 को रखिया उसका भाई रखू शाह, हसन शाह शब्बीर शाह और कुछ अन्य व्यक्ति भूमि का कब्जा लेने गए और शब्बीर शाह बन्दूक से लैस था । अभि. सा. 8 आहत साक्षी है, इसलिए उसके साक्ष्य की गुणवत्ता अधिक है और उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । घटना की उत्पत्ति के संबंध में मामले का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए, हम प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करेंगे जो निम्न प्रकार है :–

> "\. ........ यह भूमि अप्रैल, 1987 में उसके पति द्वारा अहमद शाह को 75,000/- रुपए के प्रतिकर के लिए बेची गई थी और दस्तावेज निष्पादित किए गए थे । रखिया ने स्वयं यह कथन किया है कि यह तथ्य मामा और भान्जे को मालूम था । यह सत्य है कि घटना के 7-8 दिन पहले उसके पति और उसके बड़े पुत्र ने बलपूर्वक भूमि का कब्जा लिया था और अहमद शाह तथा रसूल शाह ने उसके पति, उसके पुत्र और उसके सामान को एक ट्रैक्टर में रखकर उसे जलासर रेलवे लाइन के निकट छोड़ दिया था । यह भी सत्य है कि इसके पश्चात् ईद के त्यौहार के दिन, रखिया, उसका भाई रखू शाह और उसका पुत्र हसन शाह, शब्बीर शाह, दारे शाह, मोती शाह और रौराम भूमि का कब्जा लेने गए थे और खेत में ही बैठ गए थे । यह भी सत्य है कि ईद वाले दिन इस भय से कि अहमद शाह पुनः खेत से उन्हें न हटा दे, इसलिए शब्बीर शाह अपने भाई की बन्दूक लेकर गया था और रौराम पटाखा चलाने वाली बन्दूक लेकर गया था......।"

अभि. सा. 8 का यह साक्ष्य अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 21) के साक्ष्य से पूर्णतया प्रबलित होता है कि अभियुक्तों के पास वास्तव में भूमि का कब्जा था और उसके पति अब्दुल शाह, शब्बीर शाह और रखू शाह ने इस घटना के कुछ दिन पहले इस भूमि का कब्जा लेने का असफल प्रयास किया था ।

13\. अभि. सा. 21 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार

किया है कि घटना के दिन, अहमद शाह और उसके साथियों के पास उस भूमि का कब्जा था और उस भूमि पर अहमद शाह, रूपा राम बाजीगर से कृषि करवा रहा था और घटना के समय उस खेत में अहमद शाह के लिए रूपा राम बाजीगर द्वारा तैयार की गई नरमा की फसल खड़ी हुई थी । अन्वेषक अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान यह बात सामने आई कि तारीख 28 अप्रैल, 1996 को शिकायतकर्ता पक्ष ने उस भूमि पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था । अन्वेषक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन अभियुक्त पक्ष के पास विवादित भूमि का कब्जा था ।

14. अभि. सा. 21 के साक्ष्य और प्रदर्श डी-35 से यह पता चलता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 67/1996 के अनुसार एक प्रतिमामला संस्थित किया गया था । उक्त मामले का निर्णय प्रदर्श डी-35 है जिससे भी यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त के पास विवादित भूमि का कब्जा था । प्रदर्श डी-8 तारीख 9 अप्रैल, 1987 का विक्रय-विलेख है जो अब्दुल शाह द्वारा अहमद शाह के पक्ष में निष्पादित किया गया था और इस विलेख से भी अभियुक्त व्यक्तियों का भूमि पर कब्जा होना उपदर्शित होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने यह साबित करने के लिए प्रदर्श डी-8, 9, 10, 28 और 35 प्रस्तुत किए हैं कि अभियुक्तों के पास विवादित भूमि का कब्जा था और साक्ष्य से यही उद्भूत होता है कि भूमि का कब्जा अभियुक्तों के पास था और शिकायतकर्ता पक्ष बन्दूक से लैस होकर उस संपत्ति का बलपूर्वक कब्जा लेने के लिए खेत पर गया था और इस तथ्य से, अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शाई गई घटना की उत्पत्ति पर घोर संदेह होता है ।

15. हसन शाह (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि जब रखिया (अभि. सा. 8) झोपड़ी में चाय बना रही थी तब अभियुक्त पक्ष एक साथ वहां पहुंचे और अपीलार्थियों ने शब्बीर शाह को उस समय क्षतियां पहुंचाईं जब वह निकट ही चारपाई पर सो रहा था और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सुबहान शाह ने रखू शाह की दाईं टांग पर कुल्हाड़ी से क्षति कारित की । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि वह झोपड़ी में ईंटों से बने चूल्हे पर चाय बना रही थी और चाय तोपिया में बनाई जा रही थी और घटना के पश्चात् तोपिया और चूल्हा झोपड़ी में ही छोड़ दिए गए । प्रदर्श पी-14 स्थलनक्शा है जिसमें झोपड़ी और घटना का दृश्य चिन्हांकित

किया गया है । जब अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 21) को स्थलनक्शा प्रदर्श पी-14 दिखाया गया, तब उसने यह कथन किया कि उसने प्रदर्श पी-14 में किसी भी चूल्हे का उल्लेख नहीं किया है । अभि. सा. 21 ने यह भी कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर कोई भी तोपिया या चाय बनाने का बर्तन नहीं देखा था । दूसरी ओर अभि. सा. 21 ने यह कथन किया है कि झोपड़ी में एयरगन से टूटा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा देखा था । जैसा कि अभि. सा. 7 और 8 ने कथन किया है, यदि वास्तव में घटना के समय झोपड़ी में चाय बनाई जा रही थी तब मैली, तोपिया, चूल्हा और बर्तन झोपड़ी में ही बिखरे हुए पाए जाते कि अन्वेषक अधिकारी को घटनास्थल पर न तो चूल्हा मिला और न ही बर्तन, इस तथ्य से अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई यह दलील असंभावी हो जाती है कि अभियुक्तों ने हमला किया था ।

16. अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 ने अपीलार्थियों के स्पष्ट कृत्य के संबंध में बताया है कि अपीलार्थी गुरुमुख सिंह ने शब्बीर शाह की गर्दन पर गंडासी से वार किए और अहमद शाह ने उसके सिर पर भाले से क्षति पहुंचाई । अभि. सा. 8 आहत साक्षी है, इस साक्षी ने अपीलार्थियों द्वारा शब्बीर शाह को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में साक्ष्य दिया है ।

17. अपीलार्थियों के स्पष्ट कृत्य के संबंध में निचले न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए समवर्ती मतों से हमारा समाधान हो गया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, विशेषकर अभि. सा. 8 जिसने दो अपीलार्थियों द्वारा अपराध में भाग लेने और घातक क्षतियां पहुंचाने के संबंध में अपना संगत अभिसाक्ष्य दिया है, के कथनों से अपीलार्थियों का स्पष्ट कृत्य साबित हो गया है । किंतु जहां दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि का संबंध है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से सहमत नहीं हैं ।

18. दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अनुसार मानव वध हत्या नहीं है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो । दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेने के लिए चार

अध्यपेक्षाओं का समाधान होना चाहिए, अर्थात् – (i) अचानक झगड़ा हुआ हो ; (ii) कोई भी पूर्व-चिन्तन न किया गया हो ; (iii) कृत्य आवेश की तीव्रता में किया गया हो ; और (iv) हमलावर ने कोई भी असम्यक् फायदा न लिया हो और न ही क्रूरतापूर्ण रीति में कार्य किया हो ।

19. इस न्यायालय ने **श्रीधर भुयन** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "7. दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कार्य पूर्व-चिन्तन के बिना अचानक झगड़ा होने पर आवेश की तीव्रता में किया गया है और अपराधी ने असम्यक् फायदा भी नहीं लिया है और उसने क्रूरतापूर्ण या असामान्य रीति में कार्य नहीं किया है ।
>
> 8. दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के अन्तर्गत अचानक झगड़े के दौरान किया गया कार्य आता है । यह अपवाद अभियोजन के ऐसे मामलों को लागू होता है जो प्रथम, अपवाद के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इसके पश्चात् चौथे अपवाद के अंतर्गत ऐसे कृत्यों का आना और अधिक उचित हो जाता है । अपवाद ऐसे ही सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि दोनों में पूर्व-चिन्तन का अभाव है । किन्तु अपवाद 1 में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण वंचन है जबकि अपवाद 4 में आवेश की तीव्रता है जो मनुष्यों की नैतिक तर्कशक्ति को प्रभावित करती है और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते । अपवाद 4 में प्रकोपन का ऐसा ही उल्लेख किया गया है जैसा अपवाद 1 में किया गया है ; किन्तु कारित की गई क्षति उस प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है । वास्तव में अपवाद 4 ऐसे मामलों के बारे में है जिनमें ऐसी बात होते हुए भी कि झगड़े की उत्पत्ति में वार किया गया हो, या प्रकोपन किया गया हो या किसी भी प्रकार से झगड़ा जनित हुआ हो फिर भी दोनों पक्षकारों का आचरण उन्हें समान रूप से दोषी बनाता है । 'अचानक झगड़ा' परस्पर प्रकोपन करने और एक दूसरे पर वार करने से होता है । इसलिए स्पष्ट रूप से एकपक्षीय प्रकोपन से मानव वध नहीं किया गया है और न ही ऐसे मामलों में पूर्ण दोष किसी एक पक्ष पर लगाया जा सकता है । क्योंकि यदि ऐसा

---

[1] (2004) 11 एस. सी. सी. 395.

होता, तब समुचित रूप से लागू होने वाला अपवाद, अपवाद 1 होता । (इस मामले में) झगड़ा करने का पहले से कोई भी सोच-विचार या पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया है । अचानक झगड़ा हुआ, जिसके लिए दोनों ही पक्षकारों पर कम या अधिक आरोप लगाया जा सकता है । यह भी हो सकता है कि किसी एक पक्षकार ने झगड़ा आरंभ किया हो और जब तक दूसरे ने उसे गुरुतर न बनाया हो तब तक यह ऐसा गंभीर रूप नहीं ले सकता था जैसाकि घटित हुआ । इसके पश्चात् परस्पर प्रकोपन और अपवृद्धि हुई है और किस हमलावर का कितना दोष है, यह नियत करना कठिन है । अपवाद 4 का अवलंब तब लिया जा सकता है जब मृत्यु – (क) पूर्व-चिन्तन के बिना ; (ख) अचानक लड़ाई में ; (ग) अपराधी द्वारा असम्यक् लाभ लिए बिना या क्रूर या असामान्य रीति में कृत्य किए जाने पर कारित की गई हो ; और (घ) झगड़ा उसी व्यक्ति के साथ हुआ हो जिसकी मृत्यु हुई है । अपवाद 4 के अधीन मामला बनाने के लिए सभी चारों संघटकों का मौजूद होना आवश्यक है । यह उल्लेखनीय है कि दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में प्रयोग होने वाले 'झगड़ा' शब्द को दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है । झगड़ा करने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है । आवेश की तीव्रता के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है कि आवेग के सामान्य हो जाने की कोई गुंजाइश न हो और इस मामले में घटना के आरंभ में ही हुई कहासुनी के कारण स्वयं पक्षकारों ने अचानक कृत्य किया है । 'झगड़ा' दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हथियारों के साथ या उनके बिना मुकाबला होता है । इस संबंध में कोई भी सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा किसे समझा जाए । यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित किए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए । अपवाद 4 के लागू किए जाने के लिए यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि झगड़ा अचानक हुआ था और कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था । यह भी साबित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् फायदा नहीं उठाया है और न ही क्रूर या असामान्य रीति में कार्य किया है । उपबंध में प्रयोग की गई 'असम्यक फायदा' अभिव्यक्ति का अर्थ 'अनुचित फायदा' है । सतीश नारायण सावंत **बनाम** गोआ राज्य,

[(2009) 17 एस. सी. सी. 724] वाले मामले में ऐसा ही सिद्धांत दोहराया गया है ।

20. जैसाकि इसके पूर्व विचार किया गया है, अब्दुल शाह ने वर्ष 1987 में अहमद शाह को संपत्ति विक्रय की थी । अहमद शाह की ओर से रूपा राम बाजीगर खेती कर रहा था । साक्ष्य में यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के दिन खेत में नरमा की फसल खड़ी हुई थी जो रुपा राम बाजीगर द्वारा तैयार की गई थी । जैसाकि अभि. सा. 8 के साक्ष्य से दिखाई देता है, शिकायतकर्ता पक्ष अर्थात् रखिया, रखू शाह, हसन शाह, शब्बीर शाह, दारे शाह, मोती शाह और रौराम संख्या में सात व्यक्ति थे जो बलपूर्वक कब्जा लेने गए थे । जैसाकि प्रदर्श पी-65 से दिखाई पड़ता है, अभियुक्त संख्या में लगभग सात थे अर्थात् रसूल शाह, अहमद शाह, अमर शाह, जाकिर, सुबहान शेरू और गुरुमुख सिंह जो वहां मौजूद थे । ऐसा प्रतीत होता है कि परस्पर प्रकोपन और अपवृद्धि हुई थी, चूंकि शिकायतकर्ता पक्ष भूमि का कब्जा लेने गया था, इसलिए यह भी प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ था । जानबूझकर कोई भी पूर्ववर्ती कार्य या पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया है और यह घटना अचानक झगड़ा होने से घटित हुई है ।

21. जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया गया है, शिकायतकर्ता पक्ष खेत पर गया था और शब्बीर शाह बन्दूक से लैस था । अचानक झगड़ा होने पर लोग गुत्थम-गुत्था हो गए । हाथापाई के दौरान अपीलार्थियों ने मृतक शब्बीर शाह को क्षतियां पहुंचाईं । अभियुक्तों ने शब्बीर शाह से बंदूक छीनने की कोशिश की । कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था और अचानक झगड़ा होने से घटना घटित हुई । हाथापाई के दौरान अन्य अभियुक्तों ने रखू शाह और अभि. सा. 8 को क्षतियां पहुंचाईं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारे मतानुसार, वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जो दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हो किन्तु यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन आ सकता है । चूंकि अपीलार्थियों ने मृत्यु कारित करने के आशय से शब्बीर शाह की गर्दन और सिर पर क्षतियां पहुंचाईं हैं इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थियों का कृत्य दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के अधीन आता है ।

22. जहां तक दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा फाइल की गई अपील का संबंध है, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अभियुक्त सुबहान शाह और रसूल शाह ने रखू शाह की बाईं टांग और बाएं कंधे पर क्षति पहुंचाई । उपचार किए जाने के बावजूद, अनेक क्षतियों के कारण रखू शाह के शरीर में रक्त-अवरोध हो गया और उसकी अस्थियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । साक्ष्य और क्षतियों की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने सुबहान शाह की दोषसिद्धि को उपान्तरित कर दिया और सारभूत दंडादेश को कम करके पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना कर दिया ।

23. उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण किया है और यह महसूस किया है कि साक्ष्य सार्वत्रिक और व्यापक है और शेष अभियुक्तों द्वारा कोई भी, विशिष्ट कार्य नहीं किया गया है । जैसाकि पहले ही बताया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल सात व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करके स्वयं कोई गलती की है । मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी सारभूत आधार दिखाई नहीं देता है ।

24. दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थी अहमद शाह और गुरुमुख सिंह की दोषसिद्धि धारा 304, भाग-I में उपान्तरित की जाती है और आजीवन कारावास का सारभूत दंडादेश कम करके पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना किया जाता है और अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है । यदि अभियुक्त अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाए । राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

अस./अनू.